

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. 31/22 दिनांक 4/2/22
2. (i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें 7
(ii) अधिनियम..... भा.द.स..... धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें
3. (क) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 62 समय 6.00 PM.....
(ख) अपराध घटने का दिन गुरुवार दिनांक :- 03.02.2022 समय 2.43 पीएम.....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :- समय
4. सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक :- लिखित
5. घटनास्थल :- नगरपालिका लोसल जिला सीकर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- सीकर से पश्चिम दिशा में करीब 50 किलोमीटर
(ब) पता :- नगरपालिका लोसल जिला सीकर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना जिला
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम :- श्री रामेश्वरलाल
(ब) पिता/पति का नाम :- श्री मन्नालाल
(स) जन्म तिथि/वर्ष :- 48 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता- भारतीय
- (य) पासपोर्ट संख्या
जारी करने की तिथि जारी होने की जगह
- (र) व्यवसाय :-
- (ल) पता :- निवासी वार्ड नं. 01 लोसल जिला सीकर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
श्री विशाल माथूर पुत्र श्री पवन कुमार माथूर, उम्र-40, निवासी वार्ड नं. 21, मौहल्ला कोट,
तहसील डीडवाना जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक नगरपालिका लोसल जिला सीकर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....
..... कोई देरी नहीं हुई
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य रिश्वती राशि 5,000 रुपये.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :-
सेवामें, श्रीमान् उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी सीकर। विषय :- रिश्वत लेते
हुये रंगे हाथों पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं रामेश्वरलाल सैनी लोसल का रहने
वाला हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने अपने हिस्से की भूमि जिसमें एक मकान बना हुआ
है, का नगरपालिका से अपने नाम पट्टा बनवाने हेतु नगरपालिका लोसल में श्री विशाल माथूर
बाबू से मिला तो उसने मेरे भाई सोहनलाल जिसने पूर्व में नगरपालिका से पट्टा बनवा लिया
था उस पट्टे की फाईल देखकर तथा मेरे हिस्से की करीब 166 वर्गगज भूमि का पट्टा बनाने
के लिये 3100 रुपये की एक रसीद तथा 11000 रुपये की एक रसीद तथा 4000 रुपये
फाईल तैयार करने के इस प्रकार कुल बताया कि 18,100 रुपये सरकारी लगने के बताये
तथा मेरे पट्टे की फाईल तैयार कर मेरे नाम नगरपालिका से पट्टा जारी करवाने के लिये
5000 रुपये अलग से रिश्वत के मांगे हैं। मैं उक्त श्री विशाल माथूर बाबू को रिश्वत देना नहीं
चाहता और उसे रिश्वत लेते हुये पकड़वाना चाहता हूँ। रिपोर्ट देता हूँ कानूनी कार्यवाही करें।
एसडी- रामेश्वरलाल पुत्र श्री मन्नालाल, उम्र-48 वर्ष, जाति सैनी, निवासी वार्ड नं. 01 लोसल
जिला सीकर, मोबाईल नम्बर 9414774165 दिनांक 01.02.2022, एसडी-सुरेशचन्द्र पुलिस

निरीक्षक कार्यवाही शुरू की जाती है दिनांक 01.02.2022, एसडी-धर्मवीर, एसडी-जयप्रकाश
सैनी दिनांक 3.02.2022

कार्यवाही पुलिस

01.01.2022

11.30 एएम इस समय परिवारी रामेश्वरलाल पुत्र श्री मन्नालाल, उम्र-48 वर्ष, जाति सैनी, निवासी वार्ड नं. 01 लोसल जिला सीकर ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मजिद दरियाफत पर परिवारी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री विशाल माथूर बाबू नगरपालिका लोसल से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना में अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत लेन-देन का पाया जाता है। अतः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन से जैसी स्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। एसडी-सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक

परिवारी रामेश्वरलाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.02.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवारी रामेश्वरलाल को टेप रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। टेप रिकार्डर श्री रामनिवास कानि. को सुपुर्द कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवारी के साथ श्री रामनिवास कानि. को लोसल खाना किया गया। उसी दिन बाद सत्यापन समय 07.00 पीएम पर श्री रामनिवास कानि. ने उपस्थित कार्यालय होकर टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि " नगरपालिका लोसल के पास पहुँच मैंने टेप रिकार्डर परिवारी को सुपुर्द कर दिया तथा उसके नगरपालिका से वापिस आने के पश्चात टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया। कानि. रामनिवास ने बताया कि परिवारी की नगरपालिका में विशाल बाबू से वार्ता पूरी नहीं होने तथा कार्यालय समय समाप्त होने के कारण परिवारी के चाहेनुसार मैंने परिवारी को बस स्टेण्ड लोसल पर पुनः टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया जिस पर कुछ समय बाद आरोपी बाबू के बस स्टेण्ड लोसल पर आने पर परिवारी ने उससे वार्ता की बाद वार्ता आरोपी बाबू के चले जाने पर मैंने टेप रिकार्डर परिवारी से प्राप्त कर लिया। कानि. ने परिवारी की मन् पुलिस निरीक्षक से जरिये मोबाईल फोन वार्ता करवाई तो उसने अपने घर जरूरी कार्य होने तथा आईन्दा रूपयों की व्यवस्था कर कार्यालय आने की कही। टेप रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गयो तो परिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में अंकित तथ्यों एवं रिश्वत मांग की पुष्टि होती है। टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित आलमारी में रखा गया।

तत्पश्चात दिनांक 03.02.2022 को परिवारी रामेश्वरलाल कार्यालय में उपस्थित होकर परिवारी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि " दिनांक 01.02.2022 को मैंने नगरपालिका लोसल में जाकर श्री विशाल माथूर बाबू से अपने काम के बारे में बातचीत की और उनके कहेनुसार मैंने उनको मेरी नोटेरी की फोटो प्रति, बिजली बिल, राशन कार्ड तथा आधार कार्ड की कोपी दे दी, इसी दौरान कार्यालय समय समाप्त होने के कारण उसने मुझे बस स्टेण्ड लोसल पर मिलने की कही, जिस पर हम दोनों बस स्टेण्ड पर पहुँचे जहाँ माथूर बाबू के आने पर मैंने उनसे वार्ता की तो उसने मेरी पट्टे की फाईल तैयार कर मेरे नाम पट्टा बनवाने के लिये सरकारी फिस के कुल 18,100 रूपयों के अलावा 5000 रूपये रिश्वत देने की कही, विशाल माथूर बाबू के चले जाने के पश्चात मैंने टेप रिकार्डर श्री रामनिवास कानि. को सुपुर्द कर दिया। परिवारी रामेश्वरलाल ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने की कही, जिस पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर से श्री धर्मपाल एवं श्री जयप्रकाश सैनी कनिष्ठ सहायकगण को तलब किया जाकर कार्यालय में मौजूद परिवारी रामेश्वरलाल का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढ़कर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवारी रामेश्वरलाल द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 01.02.2022 को नगरपालिका लोसल एवं बस स्टेण्ड लोसल पर आरोपी श्री विशाल माथूर बाबू नगरपालिका लोसल जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसका परिवारी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड

को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सीलड कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "ए" अंकित कर सीलड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी रामेश्वरलाल ने स्वयं की व आरोपी श्री विशाल माथूर बाबू नगरपालिका लोसल जिला सीकर की आवाजों की पहचान की है।

तत्पश्चात परिवादी रामेश्वरलाल ने हिदायत देने पर आरोपी श्री विशाल माथूर बाबू नगरपालिका लोसल जिला सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच-पांच सौ रुपये के 10 नोट कुल 5000 रुपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार हैं :-

1-एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9 BG 437766
2-एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3 CF 011572
3-एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3 UM 960267
4-एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5 PV 705632
5-एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0 BT 822842
6-एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4 LA 760715
7-एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2 DT 179739
8-एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2 RV 368958
9-एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1 MA 425369
10-एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1 TP 406972

उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से हस्ब कायदा फिनोपथलीन पाऊंडर लगवाया जाकर गवाह श्री धर्मपाल से परिवादी श्री रामेश्वरलाल की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोपथलीन पाऊंडर लगे 5,000 रूपयों के नोट श्री कैलाशचन्द कानि. से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर 9414774165 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन नम्बर 9414623697 पर मिस कॉल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाऊंडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊंडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री कैलाशचन्द कानि. से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोपथलीन पाऊंडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री कैलाशचन्द कानि. के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने वाले कांच के गिलासों व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुये ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री रामेश्वरलाल को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर समय 01.15 पीएम पर श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लिया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द मय परिवादी रामेश्वरलाल, गवाहान श्री धर्मपाल एवं श्री जयप्रकाश सैनी कनिष्ठ सहायकगण एवं कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्व सिंह एसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्रीमती मंजू महिला कानि. नं. 483 के ट्रेप बाक्स एवं लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये प्राईवेट वाहनों के सीकर से रवाना होकर समय 02.20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के नगरपालिका लोसल के पास पहुँचा जहाँ वाहनों को साईड में रुकवाकर परिवादी को नगरपालिका की तरफ रवाना किया गया। परिवादी के पीछे-पीछे श्री रामनिवास कानि., श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 को रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक

मय हमराहीयान के वाहनों में मुकिम हुआ। श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 को वाहन में ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई।

समय 02.43 पीएम पर नगरपालिका के पास वाहनों में मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी का तय ईशारा कॉल आने की सूचना प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय मौतविरान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को साथ लेता हुआ इस समय नगरपालिका के मुख्य दरवाजे पर पहुँचा तो दरवाजे के अन्दर की तरफ परिवादी तथा एक व्यक्ति खड़े दिखाई दिये, इतने में ही परिवादी के पास खड़े व्यक्ति ने घबराते हुये अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बाईं जेब से पैसे निकालकर परिवादी को देते हुये दिखाई दिया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के नगरपालिका के गेट के अन्दर पहुँचने पर परिवादी ने अपने पास खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि "यही विशाल माथूर बाबू है, इन्होने मेरे से पाँच हजार रुपये रिश्वत के लिये है" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के पास नगरपालिका के मुख्य गेट पर खड़े व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक नगरपालिका लोसल होना बताते हुये कहा कि "मैने कोई रुपये नहीं लिये है" मौके पर ही परिवादी ने श्री विशाल माथूर के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि "दिनांक 01. 02.2022 को मैने मेरे पट्टे से संबंधित नोटेरी आदि कागजात इनको दिये तो इन्होने मेरा पट्टा बनवाने के लिये करीब 18,100 रुपये सरकारी कागजों के मांगे तथा 5000 रुपये स्वयं के लिये रिश्वत के अलग से देने की कही, आज जब मैने इनके कमरे में जाकर इनको रुपये देने चाहा तो इन्होने सरकारी रसीद के रूप्यों के अलावा पाँच हजार रुपये देने की कही जिस पर मैने इनको पाँच हजार रुपये दिये तो इन्होने रुपये लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बाईं जेब में रख लिये, जिस पर मैने आपको फोन कर दिया, इतने में ही ये मेरे से बातें करता हुआ नगरपालिका के मुख्य दरवाजे पर आ गया तथा आपको आते देख इनको शक हो जाने पर इन्होने रुपये अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर मेरे हाथ में पकड़वा दिये।" रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री रामनिवास कानि. ने आरोपी विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक का बाया हाथ एवं श्री कैलाशचन्द कानि. ने आरोपी विशाल माथूर का दाहिना हाथ कलाईयों के उपर से पकड़ लिये। तत्पश्चात उक्त श्री विशाल माथूर का कमरा नं. 06 जिस पर विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक भूमि शाखा लिखा हुआ है, के अन्दर पहुँच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। तत्पश्चात दो काँच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोड़ा-थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक के बायें हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर-1 एवं आर-2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल-1, एल-2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक को दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाकर उसकी पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक की पेन्ट की सामने की बाईं जेब जिसमें से रिश्वती राशि बरामद की गई, को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी-1 एवं पी-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक की पेन्ट की जेब की तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट की जेब में रखे पर्स में कुल 27,660 रुपये पाये गये जिनको बाद सत्यापन संदिग्ध मानते हुये जप्त किया गया। आरोपी की उक्त जिन्स पेन्ट बरंग निली की बाईं जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क "बी" अंकित किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से रुपये नहीं लेने पर बायें हाथ की अंगुलिया धुलाई के धोवन एवं पेन्ट

की जेब धुलाई के धोवन में कलर आने बाबत आरोपी विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक को पूछा गया तो आरोपी विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक ने चूप रहा कोई जबाब नहीं दिया।


तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि 5000 रुपये लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखे तथा बाद में शक होने पर वापिस परिवादी को दिये गये रुपये गवाह श्री जयप्रकाश के जरिये परिवादी से प्राप्त कर गिनवाये गये तो कुल 5000 रुपये पाये गये, जिनके नम्बरों का मिलान पूर्व में बनी फर्द पेशकसी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूँबहूँ पाये गये। परिवादी को आरोपी विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक द्वारा वापिस लौटाये गये नोटों के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर कुल 5,000 हजार रुपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक को परिवादी के पट्टे के संबंध में पूछा गया तो आरोपी विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक ने भूमि शाखा में कार्यरत होना बताते हुये अपनी टेबल की दराज से परिवादी के पिताजी श्री मन्नालाल सैनी के नाम एक नोटेरी मय नक्शा की फोटो प्रति निकालकर पेश की तथा बताया कि "इन्होंने मुझे ये कागजात दो-तीन दिन पहले दिये थे, इनके पट्टे की फाईल तैयार करवानी है, फाईल तैयार करने एवं पट्टे की फीस आदि के बारे में पूछने पर बताया कि "इनके पट्टे में करीब 11,000 रुपये पट्टे के नियमन राशि 3100 रुपये फाईल चार्ज लगना बताया। परिवादी से संबंधित उक्त दोनों दस्तावेजात की फोटो प्रति पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क आर-1, आर-2, एल-1, एल-2, पी-1, पी-2, सील्ड रिश्वती राशि के कागज एवं सील्ड पेन्ट के पैकेट मार्क "बी" एवं परिवादी के पट्टे से संबंधित जप्त शुदा नोटेरी मय नक्शा पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती नोट पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक नगरपालिका लोसल जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से तैयार किया गया।

तत्पश्चात समय 05.30 पीएम पर परिवादी रामेश्वरलाल द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 03.02.2022 को आरोपी श्री विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक नगरपालिका लोसल जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसको उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "सी" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी रामेश्वरलाल ने स्वयं की व आरोपी श्री विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक नगरपालिका लोसल जिला सीकर की आवाजों की पहचान की है।

तत्पश्चात समय 06.20 पीएम पर आरोपी विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक के पास मिले 27,660 रुपये के बारे में आरोपी की पत्नी श्रीमती शिखा माथूर के मोबाईल पर वार्ता कर सत्यापन किया गया। उक्त वार्ता का रूपान्तरण किया जाकर वार्ता का मेमोरी कार्ड को सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "डी" अंकित कर जप्त किया गया। उक्त जप्त शुदा मेमोरी कार्ड एवं वार्ता के फर्द रूपान्तरण तथा आरोपी विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक के पर्स में पाये गये कुल 27,660 के संबंध में पृथक से रिपोर्ट तैयार की जावेगी।


मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर समय 6.50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों मय गिरफ्तार शुदा आरोपी व जप्त शुदा वजह सबूत हमरा लेकर लोसल से रवाना होकर सीकर पहुँच आरोपी का बाद स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोविड जांच आरोपी को सुरक्षा के लिहाज से पुलिस थाना उद्योगनगर सीकर में बन्द करवाकर समय 8.50 पीएम पर एसीबी कार्यालय सीकर पहुँचा। प्रकरण से संबंधित वजह सबूत सुरक्षित हालत में जमा मालखाना करवाया गया।

की गई कार्यवाही से आरोपी श्री विशाल माथूर पुत्र श्री पवन कुमार माथूर, उम्र-40, निवासी वार्ड नं. 21, मौहल्ला कोट, तहसील डीडवाना जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक नगरपालिका लोसल जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये परिवादी श्री रामेश्वरलाल का नगरपालिका लोसल से पट्टा जारी करवाने के लिये परिवादी को 18,100 रुपये सरकारी फीस आदि के बताना तथा से पट्टे की फाईल तैयार कर पट्टा जारी करवाने की एवज में दिनांक 01.02.2022 को परिवादी से 5000 रुपये स्वयं के लिये बतौर रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 03.02.2022 को परिवादी से 5000 रुपये बतौर रिश्वत लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखना तथा एसीबी टीम को देखकर रिश्वती राशि अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर वापिस परिवादी को देने पर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उक्त श्री विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक नगरपालिका लोसल जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक नगरपालिका लोसल जिला सीकर के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।


(सुरेशचन्द्र)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री विशाल माथुर, वरिष्ठ सहायक, नगरपालिका लोसल, जिला सीकर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 31/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 300-04 दिनांक 4.2.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अध्यक्ष, नगरपालिका लोसल, सीकर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।


पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।